आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0.....16...../17–18

राज्य बनाम 1. सुमो विक्टा रजिस्ट्रेशन नं0– BR-11F-1974

2. सुमो गोल्ड रजिस्ट्रेशन नं0– BR-10M-1706

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख–सहित। 3
11.7.17	अधीक्षक उत्पाद, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में उत्पाद विभाग द्वारा विशेष वाद(उत्पाद) संख्या–142/17 में दिनांक–16.05.17 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (a) के तहत सुमो विक्टा रजिस्ट्रेशन नं0– BR-11F-1974 और सुमो गोल्ड रजिस्ट्रेशन नं0– BR-10M-1706 को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विशेष वाद(उत्पाद) संख्या–142/17 में दिनांक–16.05.17 में गुप्त सूचना के आधार पर निरीक्षक उत्पाद सहरसा के नेतृत्व में राजकुमार पे0 कुलेन्द्र यादव सा0– लक्ष्मीनियां (कांप) वार्ड नं0 04 थाना–सौरबाजार जिला–सहरसा के दरवाजे के आगे सड़क किनारे खड़े दो वाहन क्रमशः सुमो विक्टा रजिस्ट्रेशन नं0–BR-11F-1974 एवं सुमो गोल्ड रजिस्ट्रेशन नं0–BR-10M-1706 की वहाँ उपस्थित गवाहों के समक्ष वाहन की विधिवत तलाशी ली गई। दोनों वाहन क्रमशः BR-11F-1974 में रॉयल स्टैग ब्रांड के 375 एम0एल0 के 480 पीस, 180 एम0एल0 के 235 पीस एवं BR-10M-1706 में रॉयल स्टैग ब्रांड 375 एम0एल0 के 456 पीस तथा इंपीरियल ब्लू ब्रांड के 180 एम0एल0 के 283 पीस विदेशी शराब विभिन्न कार्टून में पैक दोनों वाहनों में पाया गया। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (a) के अन्तर्गत दोनों वाहनों व अवैध उत्पाद वस्तु को विधिवत जप्त किया गया। वाहन BR-11F-1974 के मालिक अजितेश कुमार पे0 ब्रह्मदेव कुमार सा0– सहसराम वार्ड नं0 18 थाना–सौरबाजार (पतरघट ओ0पी0) जिला–सहरसा को पूछताछ हेतु दिनांक–17.05.17 को उत्पाद थाना लाया गया।	

11.7.17

उनके द्वारा बताया गया कि उन्होनें वाहन BR-11F-1974 को कुछ महिने पहले राजकुमार पे0 कुलेन्द्र यादव सा0–लक्ष्मीनियां (कांप) को बेच दिया है। परंतु अजितेश कुमार द्वारा वाहन बेचने संबंधित कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया गया। ततपश्चात् विधिवत रूप से अजितेश कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया तथा राजकुमार पे0 कुलेन्द्र यादव के विरूद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जप्त वाहन से अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन से शराब का परिवहन किया गया है। जिससे वाहन का अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने की मंशा स्पष्ट होती है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जप्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है।

विपक्षीगण वाहन मालिक की ओर से न तो कारणपृच्छा दाखिल किया गया है और न ही कोई उपस्थित हुआ है। उक्त वाहन सुमो विक्टा रजिस्ट्रेशन नं0–BR-11F-1974 एवं सुमो गोल्ड रजिस्ट्रेशन नं0–BR-10M-1706 से विदेशी शराब बरामद हुआ जिससे यह प्रतीत होता है कि जप्त वाहन अवैध कारोवार में संलिप्त है तथा विपक्षी को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा अधीक्षक उत्पाद, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाहन से अवैध शराब बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाबजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की तहत उक्त वाहन एवं मकान का अधिग्रहण किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः जप्त सुमो विक्टा रजिस्ट्रेशन नं0–BR-11F-1974 एवं सुमो गोल्ड रजिस्ट्रेशन नं0–BR-10M-1706 को बिहार मद्य निषेध एवम् उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (2) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि जप्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत नीलामी कर विक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को देगें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी है।

11.7.18
समाहर्त्ता,
सहरसा।

11.7.18
समाहर्त्ता,
सहरसा।